



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



2 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 92 राँची, बुधवार,

21 फरवरी, 2024 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

20 फरवरी, 2024

विषय:- केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) एवं विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनीसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) अंतर्गत 14436.84 लाख रु. की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त लोहरदगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के Standard Bid Document (SBD) की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या- SUDA/AMRUT 2.0/Lohardaga WS-95/2023/UDHD- 657--नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इसी क्रम में लोहरदगा शहरी जलापूर्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। इसके चरणबद्ध क्रियान्वयन के निमित्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया है, जिसके अनुसार लोहरदगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्राक्कलित राशि 14436.84 लाख (एक सौ चौवालीस करोड़ छत्तीस लाख चौरासी हजार) रुपये है। यह परियोजना आवासन एवं

शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत 2.0 योजनांतर्गत स्वीकृत है एवं DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है।

2. लोहरदगा नगर परिषद् क्षेत्र में शहरी जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति में सुधारके लिए एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए लोहरदगा शहरी जलापूर्ति योजना का सूत्रण एवं क्रियान्वयन Jharkhand Municipal Development Project एवं अमृत 2.0 अंतर्गत किया जायेगा।

3. तद्आलोक में वित्तीय कमियों को पुरा करने के उद्देश्य से विश्व बैंक के वित्तपोषण से Jharkhand Municipal Development Project (JMDP) का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। JMDP हेतु भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच Loan Agreement एवं विश्व बैंक तथा झारखण्ड सरकार और जुडको लिमिटेड के बीच Project Agreement दिनांक 24.06.2019 को हस्ताक्षरित किया गया है। तदनुसार JMDP के Loan Agreement एवं Project Agreement को दिनांक 06.09.2019 से Effective घोषित किया गया है।

4. जनगणना 2011 के अनुसार निकाय क्षेत्र की जनसंख्या 57411 है एवं इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में निकाय क्षेत्र के लगभग 2679 घरों में नगर परिषद् द्वारा South Koel नदी एवं शंख नदी से जलापूर्ति की जा रही है। जिसके अंतर्गत मुख्यतः शंख नदी में दो Infiltration Well एवं एक Jack Well तथा South Koel नदी में दो Infiltration Well एवं एक Jack Well पूर्व से अधिष्ठापित है, 5.5 Km Raw Water Rising Main Pipeline, 12 MLD का एक Water Treatment Plant] 450 KL का दो तथा 125 KL का एक कुल तीन जल-मिनार, 48 KM Distribution Network उपलब्ध है। 2679 घरों में Existing House Connection है, जिसमें कि Water Meter नहीं लगे हैं।

5. पूरे निकाय क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु व्यवस्था नहीं होने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2055 तक की जरूरतों के अनुसार South Koel नदी पर वीयर का निर्माण कर जलापूर्ति योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत मुख्यतः 1.5 मीटर ऊँचाई का एक वीयर, एक इंटेक वेल, 4 km Raw Water Rising Main Pipeline, 16.5 MLD का Water Treatment Plant, 500 KL, 950 KL, 1000 KL, 1000 KL के 4 जल-मिनार, 7.49 KM Clear Water Rising Main, 171.16 KM Distribution Network, 14300 मीटरयुक्त House Service Connection प्रस्तावित है।

6. इस परियोजना के प्रस्तावित अवयवों का ब्यौरा निम्नलिखित है : -

S.N.	Proposed Project Component	Details
1	Source	South Koel River
2	Intake Well & Approach Bridge	1. Intake well, 2. Approach Bridge
3	Raw Water Rising Main (Dia- 600 mm)	4 Km
4	Water Treatment Plant (WTP)	16.5 MLD
5	Clear Water Rising Main (Dia-250-450 mm)	7.49 KM
6	Elevated Storage Reservoirs (ESR)-4 Nos.	500 KL, 950 KL, 1000 KL & 1000 KL
7	Distribution Network	171.16 Km
8	House Service Connections (with Meter)	14300 Nos.
9	SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)	To monitor entire Water Supply Scheme
10	Weir	1.5 M high
11	O&M of all component of schemes i.e Pumping Machinery, Raw Water Rising Main, WTPs, Clear Water Rising Main, ESRs, Electrical Equipment, Water Distribution Network, HSCs, Existing component, Weir and SCADA system etc.	5 Years

7. इस परियोजना अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं अमृत 2.0 मिशन दिशा-निर्देशिका की कंडिका-4 के उपकंडिका-4.1 एवं कंडिका 6 के उपकंडिका 6.5.2 (X) के आलोक में प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख-रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय-सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है।

8. इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित प्राक्कलित राशि पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान की गई है, जो निम्नवत् है:-

Sl. No.	Item Description	Amount (in Lakh)
1	Intake Well & Approach Bridge	472.72
2	Raw Water Rising Main (Length - 4.0 KM)	574.23
3	Water Treatment Plant (WTP) including electrical & mechanical items- Capacity- 16.50 MLD	566.78
4	Clear Water Rising Main (Length-7.486 KM)	753.93
5	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 1.0 ML (Old Nagar Parishad-Zone 2 & 4)	88.71
6	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 0.5 ML (PHED Campus-Zone I)	59.30
7	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 1.0 ML (Nigani-Zone 5)	78.36
8	Elevated Storage Reservoir (ESR) of capacity 0.95 ML (Madhavtoli-Zone 6)	74.11
9	Distribution System (171.607KM)	4800.55
10	House Service Connection with Meter (14300 Nos.)	751.04
11	SCADA	321.65
12	Compound Wall with Gate	32.57
13	Environmental Monitoring Plan (EMP)	24.40
14	River/Nallah, NH, and Railway crossing	230.79
15	Utility Shifting	27.11
16	Thrust Block	69.42
17	Estimate of Weir-1.5 High	1081.87
18	Capital Cost (1 to 17)	10007.54
19	Add:- GST@18%	1801.35
20	Capital Cost of Lohardaga Water Supply Project with GST (18+19)	11808.89
21	Labour Cess @ 1% on 20	118.10

Sl. No.	Item Description	Amount (in Lakh)
22	Capital Cost of Lohardaga Water Supply Project with labour cess (20+21)	11926.99
23	Centage (JUIDCO Charges)	538.09
24	NH Road Crossing- NH Fees	85.00
25	NH Road Crossing- Railway Fees	80.00
26	Total CAPEX of the Project (22 to 25)	12630.08
27	5 Years Expenditure in Operation & Maintenance (O&M)	
28	O&M for 1st year with electricity charges	248.82
29	O&M for 2nd year with electricity charges	332.63
30	O&M for 3rd year with electricity charges	347.65
31	O&M for 4th year with electricity charges	364.08
32	O&M for 5th year with electricity charges	381.87
33	O&M cost for 5 Years including Electricity Charges (28 to 32)	1675.05
34	Electricity charges for 5 years O&M	988.30
35	O&M Cost for 5 years excluding Electricity Charges (33-34)	686.75
36	Add:- GST@18% on O&M Cost without Electricity charges (18% of 35)	123.61
37	O&M cost for 5 Years with GST (Without Electric Charges) (35+36)	810.36
38	Labour Cess @ 1% on O&M Cost (1% of 37)	8.10
39	Total O&M Cost for 5 years excluding Electricity Charges (37+38)	818.46
40	Total O&M Cost for 5 years with Electricity Charges (OPEX) (34+39)	1806.76
41	Total Project Cost (CAPEX + OPEX) (26+40)	14436.84

9. अमृत 2.0 मिशन दिशा-निर्देशिका के कंडिका 5 के उपकंडिका 5.4 में योजनाओं हेतु वित्त पोषण अनुपात निर्धारित है, जिसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों हेतु CAPEX में केन्द्रांश 50% एवं राज्यांश 50% निर्धारित है एवं कंडिका 6 के उपकंडिका 6.5.2 (X) में OPEX का वहन उपभोक्ता शुल्क/राज्य योजना मद की राशि से करने का प्रावधान है। पूर्व में इस योजना का प्राक्कलन SOR 2021 के अनुसार बनाया गया था। उससे योजना की प्राक्कलित राशि 11,344.00 लाख (CAPEX 8712.00 लाख एवं OPEX 2632.00 लाख) रुपये हुई थी। योजना की इस लागत राशि पर अमृत 2.0 अंतर्गत मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित State High Power Steering Committee (SHPSC) की दिनांक 09.03.2022 को आहूत बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित Apex Committee की दिनांक 16.03.2022 को आहूत बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है जो निम्नवत् है:-

(Amount in Rs. Lakhs)

Total project cost (CAPEX + OPEX)	CAPEX	OPEX	Funding Sources (CAPEX)			
			Central Share (50%)	State Share (50%)		
				State Share AMRUT	15 th FC Grant	World Bank
11344.00	8712.00	2632.00	4356.00	385.00	922.00	3049.00

5 वर्षों में योजना के रख-रखाव एवं संचालन में व्यय होने वाली (OPEX) राशि 2632.00 लाख ₹० का वहन उपभोक्ता शुल्क की राशि से करने का प्रावधान है। यदि इससे राशि पूरा नहीं होता है, तो राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से इसका वहन विभाग द्वारा किया जायेगा।

10. उपरोक्त के आलोक में पूर्व में परियोजना लागत राशि 11344.00 लाख रु० था, किन्तु कालान्तर में विभिन्न कारणों से योजना लागत में वृद्धि हो गई एवं बढ़कर राशि 14436.84 (CAPEX + OPEX) लाख रु० हो गया, जिसके मुख्य कारण निम्नवत् हैं:

- (i) DPR में विश्व बैंक द्वारा DMA's (District Meter Area) का क्षेत्रफल घटाने का सुझाव दिया गया, जिसके कारण DMA की संख्या एवं Distribution Pipe Network की लम्बाई में वृद्धि हो गई है।
- (ii) योजना का Base Year 2023 था, किन्तु विश्व बैंक के सुझाव के आलोक में Base Year 2025 किया गया, जिससे Water Connection की संख्या, WTP की क्षमता इत्यादि में वृद्धि हुई है।
- (iii) पूर्व में योजना का प्राक्कलन SOR 2021 के अनुसार बनाया गया था, किन्तु SOR 2022 प्रकाशित हो जाने के पश्चात् प्राक्कलन को SOR 2022 के अनुसार Revised किया गया।
- (iv) पूर्व में नदी में विअर बनाने का प्रावधान नहीं था, किन्तु सितंबर 2022 में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कोयल नदी में विअर निर्माण का प्रावधान DPR में किया गया है, जिससे योजना लागत में राशि 1081.87 लाख रु० की वृद्धि हुई है।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व में योजना की कुल CAPEX जो राशि 8712.00 लाख रु० थी, प्राक्कलन Revise होने के पश्चात् राशि 12630.08 लाख रु० हो गया है। अर्थात् CAPEX की राशि में 3918.08 राशि 12630.08-8712.00) लाख रु० की वृद्धि हुई है। उक्त राशि के 70% (राशि 2742.65 लाख रु०) का वहन विश्व बैंक के ऋण की राशि से एवं शेष 30% (राशि 1175.42 लाख रु०) का वहन अतिरिक्त राज्यांश की राशि से किया जायेगा।

साथ ही पूर्व में योजना की कुल OPEX राशि जो 2632.00 लाख रु० था, प्राक्कलन Revise होने के पश्चात् 1806.76 लाख रु० हो गया है। अर्थात् OPEX की राशि में 825.24 (2632.00-1806.76) लाख रु० की कमी हुई है।

कुल OPEX राशि की 70% राशि 1264.73 लाख रु० का वहन विश्व बैंक के ऋण की राशि से एवं 30% राशि 542.03 लाख रु० का वहन उपभोक्ता शुल्क/राज्य योजना के सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा। इस योजना का Revised वित्त पोषण ब्यौरा निम्नवत् है:

(Amount in Rs. Lakhs)

Head	Total Cost	CAPEX-Funding Sources					OPEX-Funding Sources	
		Central Share	World Bank Share	State Share			World Bank Share	State budget/ ULB/User Charges
				15 th FC Grant	State Share AMRUT	Additional State Share		
CAPEX	12630.08	4356.00	5791.66	922.00	385.00	1175.42	--	--
OPEX	1806.76	--	--	--	--	--	1264.73	542.03
Total	14436.84	4356.00	5791.66	922.00	385.00	1175.42	1264.73	542.03

11. उपरोक्त तालिका के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन की लागत राशि (CAPEX) 12630.08 लाख रु० एवं 5 वर्षों तक के परिचालन एवं रख-रखाव में व्यय होने वाली राशि (OPEX) 1806.76 लाख रु० है, अर्थात् कुल प्राक्कलित राशि 14436.84 लाख रु० है। CAPEX राशि में 4356.00 लाख रु० केन्द्रांश मद से, राशि 5791.66 लाख रु० विश्व बैंक से ऋण के रूप में, राशि 385.00 लाख रु० राज्यांश मद से, राशि 922.00 लाख रु० 15वें वित्त आयोग की राशि से एवं राशि 1175.42 लाख रु० अतिरिक्त राज्यांश के रूप में विभागीय बजट के सुसंगत मद की राशि से वहन किया जायेगा।

OPEX राशि 1806.76 में से 1264.73 लाख रु० (70%) विश्व बैंक से ऋण के रूप में एवं 542.03 लाख रु० (30%) राशि शहरी निकाय के आंतरिक श्रोत/राज्य योजना मद से देय होगा।

12. CAPEX एवं OPEX में विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का वहन मांग संख्या - 48 के अधीन मुख्य शीर्ष - 4217 - शहरी विकास पर पुँजीगत परिव्यय - 60 - लघु शीर्ष - 796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष - 52 - बाह्य संपोषित योजना (EAP) - उप परियोजना शीर्ष 01 - विश्व बैंक संपोषित - झारखण्ड नगरपालिका विकास योजना (JM DP) तथा एशियन विकास बैंक संपोषित-झारखण्ड नगरीय प्रतिरोधक एवं जीवन सुधार योजना (JURLIP) (22000572) - विस्तृत शीर्ष - 05 - निर्माण, 45 - निर्माण कार्य विपत्र कोड- 48-S-4217-60-796-52-01-05-45 से किया जायेगा।

अतिरिक्त राज्यांश मद की राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4217 - शहरी विकास पर पुँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष - 60, लघुशीर्ष 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष - 51 - वृहत शहरी परियोजना एवं नागरिक आधारभूत संरचना विस्तृत शीर्ष - 05 - निर्माण, 45 - निर्माण कार्य, विपत्र कोड 48-S-4217-60-796-51-00-05-45 से किया जायेगा।

साथ ही परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव में (5 वर्षों के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन मुख्य शीर्ष - 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई उप मुख्य शीर्ष - 02 मल, जल तथा सफाई-लघुशीर्ष - 192, नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता उपशीर्ष - 06 - पानी तथा मल-जल सफाई के लिए नगर पार्षदों एवं नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष -

06 - अनुदान, 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन), विपत्र कोड - 48-S-2215-02-192-06-00-06-79 से किया जायेगा।

13. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माह जून-2011 में प्रकाशित हस्तक (Handbook) में Project Preparation & Loan Negotiations with Multilateral Development Banks (MDBs) की दिशा-निर्देशिका के कंडिका-18 में अंकित निर्देशों के आधार पर विश्व बैंक के Model Bidding Document के तर्ज पर ही उक्त परियोजना की निविदा प्रकाशित करने हेतु Standard Bid Document (SBD) तैयार किया गया है। प्रस्तावित परियोजना के लिए संवेदक के चयन हेतु उक्त SBD के आधार पर निविदा का प्रकाशन किया जाएगा। उक्त SBD के प्रावधानों में विश्व बैंक से अनुमोदन के पश्चात् आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार जुडको लि० के निदेशक मंडल के पास होगा।

14. लोहरदगा नगर परिषद में बड़ी जलापूर्ति योजना के निर्माणक्रियान्वयन हेतु सक्षम स्तर के मानव बल की कमी है, इसलिए उक्त परियोजना का क्रियान्वयन जुडको लि० द्वारा किया जायेगा। जुडको लि० द्वारा Online माध्यम से निविदा (Jharkhand Tenders Portal) खुली प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया राष्ट्रीय (Open Competitive Bidding-National) के तहत आमंत्रित किया जायेगा। साथ ही निर्धारित प्रक्रियानुसार निविदा कार्य का निष्पादन ससमय करते हुए कार्य आवंक्षित किया जायेगा एवं योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

15. चयनित संवेदक द्वारा उद्धृत राशि स्वीकृत प्राक्कलित राशि से अनुज्ञेय सीमा तक अधिक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरांत कार्य आवंटित किया जायेगा। इस क्रम में अतिरिक्त राशि का वहन राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा। साथ ही योजना क्रियान्वयन के क्रम में किन्हीं कारणों से योजना लागत में वृद्धि होती है तो उस राशि का वहन भी राज्य योजना अंतर्गत सुसंगत मद की राशि से किया जायेगा।

16. जलापूर्ति योजना हेतु पानी कोयल नदी से लिया जमयेगा। इस हेतु जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक - 941 दिनांक 22.12.2022 द्वारा Water Withdrawal हेतु एवं पत्रांक - 213 दिनांक 15.03.2023 के माध्यम से चयनित स्थल पर WEIR निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है। साथ ही WEIR के Design, Drawing एवं Estimate पर भी जल संसाधन विभाग के पत्रांक - 1005 दिनांक - 02.11.2023 के द्वारा परियाजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ vetting भी प्रदान की गई है:-

- (i) Engineer-in-charge to ensure minimum 200 KN/m² soil bearing capacity
- (ii) 600 mm D/s cut-off to be embedded in rock

चूँकि उक्त परियोजना में Design & Drawing का कार्य संवेदक के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत है, इसलिए उक्त उल्लेखित शर्तों का अनुपालन परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम में करा लिया जाएगा।

17. योजना अंतर्गत WTP एवं ESR निर्माण हेतु आवश्यक भूखण्ड नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित किए गए हैं।

18. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त सभी राशि (विश्व बैंक मद की राशि छोड़कर) इस हेतु नामित State Nodal Agency, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) अंतर्गत अमृत मिशन के पृथक बैंक खाते (SNA A/C) में संधारित किया जाता है। यह बैंक खाता वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत संधारित किया गया है। इसी बैंक खाते से उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

विश्व बैंक से प्राप्त निदेश के आलोक में JMDP अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु जुड़को में प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग बैंक खाते का संधारण किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक Share की देय राशि आवश्यकतानुसार हस्तांतरित की जाएगी। परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ होने के उपरान्त उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग संबंधित परियोजना के बैंक खाते से विपत्रों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

तदनुसार विपत्रों के भुगतान के पश्चात् राशि प्रतिपूर्ति हेतु Claim Form CAAA (सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) को समर्पित किया जाएगा। DEA की स्वीकृति के उपरान्त राज्य सरकार के द्वारा व्यय की गई विश्व बैंक मद की राशि प्रतिपूर्ति स्वरूप केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आवंटित की जाएगी।

19. परियोजना के रख-रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय-सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :-

- क) रख-रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।
- ख) जलापूर्ति की गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।
- ग) रख-रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रीडिंग कर निकाय द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charges) के अनुसार नवीनतम तकनीकों

(E-mail, SMS आदि) का उपयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा विपत्र के विरुद्ध राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

घ) संवेदक को रख-रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

20. केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) एवं विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनीसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) अंतर्गत 14436.84 लाख रु. की लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्राप्त लोहरदगा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इस योजना के Standard Bid Document (SBD) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

21. उपरोक्त प्रस्तावों पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 12.02.2024 को सम्पन्न बैठक में मद सं० 09 (नौ) के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।
